संख्या:1229 / XXV III–3–2004–158 / 2003

प्रेषक,

अर्जुन सिंह,
संयुक्त सचिव,
उत्तरांचल शासन।

सेवा में,

महानिदेशक,
चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण,
उत्तरांचल,देहरादून।

चिकित्सा अनुभाग–3 देहरादून:दिनांक 20 जनवरी,2005

विषय:– रिट याचिका संख्या:46 / डी0ए0ओ0 / 2002 / सरकार बनाम भागीरथी पन्त के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या: 5प / 8 / 47 / 2004 / 29214 दिनांक 16.12.2004 के संदर्भ एवं शासनादेश संख्या: 1442 / चिकि0–3–2003–158 / 2003 दिनांक 08.12.2003 के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल महोदय द्वारा रिट याचिका संख्या:46 / डी0ए0ओ0 / 2002 / सरकार बनाम भागीरथी पन्त के अन्तर्गत मा0 उच्च न्यायालय,नैनीताल के निर्णय दिनांक 26.06.2002 एवं दिनांक 27.09.2004 के अनुपालन में वादी को क्षतिपूर्ति के रूप में डिकीटल धनराशि रू. 1,50,000/–(रू. एक लाख पचास हजार मात्र) के भुगतान की सहर्ष स्वीकृति प्रदान की जाती है।

2. इस संबंध में होने वाला व्यय वित्तीय वर्ष 2004–05 आय–व्ययक के अनुदान संख्या–07–लेखाशीर्षक–2052–सचिवालय,सामान्य,सेवायें–आयोजनेत्तर–00–800–अन्य व्यय,03–मा0 न्यायालय द्वारा की गयी डिक्री से संबंधित धनराशि–42–अन्य व्यय(मानक मद के अन्तर्गत सुसंगत इकाईयों के नामे डाला जायेगा।

3. यह आदेश वित्त विभाग की अशासकीय संख्या:1339 / वि0अनु0–2 / 04–05दिनांक 15.01.2005 में प्राप्त उनकी सहमति से प्राप्त की जा रहे है।

भवदीय,
(अर्जुन सिंह)
संयुक्त सचिव,

संख्या:1229 / (1)XXV–3–III–2005–158 / 2003तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एंव आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:–

1. महालेखाकार,उत्तरांचल,माजरा,देहरादून।
2. वरिष्ठ कोषाधिकारी,देहरादून।
3. मुख्य चिकित्साधिकारी,अल्मोड़ा।
4. वित्त अनुभाग / नियोजन / एन0आई0सी0 / गार्ड फाईल।

आज्ञा से,
(अर्जुन सिंह)
संयुक्त सचिव